राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या–1495/2010/जयपुर

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
घट–प्रथम,प्रतिकरापवंचन,राज0वृत–द्वितीय,जयपुर ....अपीलार्थी

बनाम

मै0दिल्ली इन्दौर ट्रांसपोर्ट कैरियर्स,
दिल्ली .....प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री खेमराज, अध्यक्ष

उपस्थित : :
श्री एन.के.बैद,
उप राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी राजस्व की ओर से

श्री अलकेश शर्मा,
अधिकृत अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 20/03/2017

निर्णय

1. अपीलार्थी–विभाग द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स) तृतीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 137/आरएसटी/03–04/एनआरडी/2003–04 में पारित आदेश दिनांक 01.01.2010 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, उड़नदस्ता,तृतीय राजस्थान जयपुर (जिसे आगे **"सशक्त अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा दिनांक 03.06.2003 को पूना से परचून माल का परिवहन करते हुए जयपुर के पास वाहन संख्या एच.आर.38ए–9180 को चैक किया गया। सशक्त अधिकारी ने वाहन में लदे माल से संबंधित दस्तावेज मांगे जाने पर वाहन चालक/माल प्रभारी ने दस्तावेज पेश किये। प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच करने पर करापवंचन का संदेह होने से वाहन को निरूद्ध किया गया। जांच पर पाया गया कि चालान नं. 6229 एवं 6230 दिनांक 02.06.2003 तथा इसमें इन्द्राजात बिल्टियों एवं संलग्न प्रपत्रों की जांच की गई। तत्पश्चात ट्रांसपोर्ट कम्पनी की ओर से भागीदार श्री सुरेश कुमार आहूजा की उपस्थित में माल का भौतिक सत्यापन किया गया। भौतिक सत्यापन पर कुल 32 बिल्टियां जो कि वक्त जांच प्रस्तुत की गयी थी में से 4 बिल्टियां क्रमशः 205565–68 का माल वाहन में नहीं पाया गया। 25 बिल्टियों के विक्रेता व्यवसायियों का पंजीयन सत्यापन नहीं होने से करापवंचन के संदेह में इन बिल्टियों से परिवहनित माल को कब्जेराज लिया जाकर, शास्ति आरोपण हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। नोटिस की पालना में प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा दिनांक 18.06.2003 को जवाब प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत जवाब से असंतुष्ट होकर, सशक्त अधिकारी ने कुल माल कीमतन रू0 7,46,947/– पर, राजस्थान विक्रय कर अधिनियम (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 78(11) में कर रू0 51,442/– एवं धारा 78(12) में सरचार्ज रू0 7,716/– तथा धारा 78(5) में शास्ति रू0 2,24,084/– कुल मांग रू0 2,83,242/– अपने आदेश दिनांक 18.06.2003 के द्वारा, प्रत्यर्थी व्यवहारी के विरूद्ध आरोपित की। सशक्त अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध प्रत्यर्थी द्वारा, अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर, अपीलीय

लगातार.....2

अधिकारी ने आदेश दिनांक 01.01.2010 द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करते हुए आरोपित मांग को अपास्त कर दिया गया। अपीलीय अधिकारी कें उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी–राजस्व द्वारा यह अपील पेश की गयी है।

3. विभाग के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने अपने तर्कों में यह कहा है कि अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधि विरूद्ध है एवं सशक्त अधिकारी द्वारा पारित आदेश का समर्थन करते हुए, उन्होंने विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

4. प्रत्यर्थी के विद्वान अधिकृत अभिभाषक ने बहस के दौरान कथन किया कि वक्त चैकिंग वाहन चालक/माल प्रभारी द्वारा सशक्त अधिकारी को परिवहनित माल से संबंधित समस्त दस्तावेज पेश कर दिये थे। माल राज्य के बाहर राज्य के बाहर दिल्ली से महाराष्ट्र जा रहा था, जिसका ट्रांजिस्ट पास भी बनवाया गया था। सशक्त अधिकारी ने माल परिवहन के दौरान नियमित रूट पर ही चैक किया गया था। चैकिंग के दौरान माल कही भी अनलोड करते हुए नहीं पाया गया। माल जब राजस्थान राज्य में जाने हेतु राजस्थान राज्य से मात्र गुजर रहा था तो इसमें करापवंचन का दोषी मनोभाव कैसे हो सकता है। परिवहनित माल के साथ वांछित दस्तावेज मौजूद थे। सशक्त अधिकारी ने करापवंचन का दोषी मनोभाव भी प्रमाणित नहीं किया है। बिना किसी ठोस आधार के प्रत्यर्थी के विरूद्ध कर, सरचार्ज एवं शास्ति आरोपण की कार्यवाही की गई है, जिसे विधिसम्मत नहीं कहा जा सकता। अपने तर्क के समर्थन में उन्होने इसी व्यवहारी से संबंधित माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम मै0 दिल्ली इन्दौर ट्रांसपोर्ट कैरियर्स 44 टेक्स अपडेट पेज 98 प्रस्तुत करते हुए, राजस्व की अपील अस्वीकार करने का निवेदन किया।

5. उभय पक्ष की बहस सुनी गयी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त रेकार्ड का अवलोकन किया तथा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अध्ययन किया गया। रेकार्ड के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वाहन चालक/माल प्रभारी द्वारा सशक्त अधिकारी को परिवहनित माल से संबंधित समस्त दस्तावेज पेश कर दिये थे। यह भी स्पष्ट है कि माल राज्य के बाहर दिल्ली से महाराष्ट्र जा रहा था, जिसका ट्रांजिस्ट पास भी व्यवहारी द्वारा बनवाया गया था। माल नियमित रूट पर ही जा रहा था। सशक्त अधिकारी ने माल को कही भी अनलोड करते हुए नहीं पाया गया। परिवहनित माल दिल्ली से महाराष्ट्र राज्य के लिये जा रहा था। सशक्त अधिकारी ने करापवंचन का दोषी मनोभाव भी प्रमाणित नहीं किया है। बिना किसी ठोस आधार के प्रत्यर्थी के विरूद्ध कर, सरचार्ज एंवं शास्ति आरोपण की कार्यवाही की गई है, जिसे विधिसम्मत नहीं कहा जा सकता। अतः अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होने से, अपीलार्थी–राजस्व द्वारा प्रस्तुत यह अपील अस्वीकार होने योग्य है।

6. फलतः राजस्व द्वारा प्रस्तुत यह अपील अस्वीकार की जाती है एवं अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश 01.01.2010 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(खेमराज)
अध्यक्ष